न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 121/2026

दावा अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

महावीर सिंह माकड़ पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार (राजस्व) संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री रविन्द्र कुमार भोबिया अधिवक्ता (प्रार्थी)
2. राजपैराकार

निर्णय दिनांक :– 14.5.2026

प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम चक नं. 16 बी.जी.पी. खाता सं. 35/17 में 1/6 हिस्सा व इसी चक नं. 16 बी.जी.पी. खाता सं. 34/16 में 1/6 हिस्सा व इसी चक नं. 16 बी.जी.पी. के खाता सं. 33/53 में 1/6 हिस्सा जं.सं. 2070–73 व चक नं. 15 बी.जी.पी. खाता सं. 76/53 में 1/6 हिस्सा जं.सं. 2072–75 व चक नं. 4 एन.टी.डब्ल्यू. खाता सं. 52/36 जं.सं. 2072–75 में 1/6 हिस्सा में कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उपरोक्त कृषि भूमि प्रार्थी को जरिये विरासतन प्राप्त है। प्रार्थी का नाम सहवन से महावीर सिंह माकड़ के स्थान पर महावीर अंकित हो गया जो कि बाद में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम महावीर सिंह माकड है। प्रार्थी के दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन आधार कार्ड, बैक बचत खाता, राशनकार्ड, सहकारी बैक का बचत खाता, मतदाता पहचान पत्र, घरेलू गैस कनैक्शन में प्रार्थी का नाम महावीर सिंह माकड अंकित है। प्रार्थी के दस्तावेज संलग्न प्रार्थना पत्र है। ग्राम पंचायत बोलांवाली सरपंच द्वारा प्रमाणित प्रमाण–पत्र जिसमें प्रार्थी का नाम महावीर सिंह माकड होना बताया गया है, संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी का नाम प्रार्थी के अन्य दस्तावेजो में महावीर सिंह माकड़ दर्ज है तथा प्रार्थी की कृषि भूमि की जमाबन्दी में महावीर नाम अंकित है जिससे अलग–अलग नाम दर्ज होने से प्रार्थी के अन्य दस्तावेजो के साथ विरोधाभास उत्पन्न होता है। इस कारण प्रार्थी को बैक ऋण लेने व अन्य दस्तावेज बनवाने व सरकारी कार्यो के करवाने एवं राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर उपज ऑनलाईन करवाने में कठिनाई होती है। प्रार्थी का उक्त जमाबन्दी में महावीर सिंह माकड के स्थान पर महावीर पुत्र श्योलाल सहवन से अंकित हुआ है जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम महावीर सिंह माकड है जो कि अब दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा बैक ऋण लेने हेतु जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो प्रार्थी को मालूम हुआ कि प्रार्थी का नाम जमाबन्दी एवं अन्य दस्तावेजो में भिन्न–भिन्न नाम दर्ज है। प्रार्थी ने संबंधित हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो हल्का पटवारी ने बताया कि पहले अदालत से आदेश लेकर आओ तभी राजस्व रिकॉर्ड में आपका का नाम दुरूस्त किया जावेगा। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का अलग–अलग नाम दर्ज होने में प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति हो रही है तथा प्रार्थी को बैक ऋण व अन्य सरकारी कार्यो में अनावश्यक परेशानी उत्पन्न हो रही है। प्रार्थी कई बार अप्रार्थी के समक्ष पेश हुआ

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

और अप्रार्थी से निवेदन किया कि प्रार्थी का नाम जमाबन्दी में अन्य दस्तावेजो के अनुसार दुरूस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर देवें तो अप्रार्थी ने कई दिन टाल मटोल करने के बाद पिछले सप्ताह ऐसा करने से कत्तई ईन्कार कर दिया बस यही बिनाय प्रार्थना पत्र है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को रिपोर्ट हेतु क्रमांक/रीडर/2026/130 दिनांक 25.03.2026 पत्र जारी किया गया।

अप्रार्थी राज पैरोकार द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पत्रांक दुरूस्ति/धारा–136/भू.अ./26/1771 दिनांक 23.04.2026 द्वारा रिपोर्ट पेश करते हुए अंकित किया कि चक 16 बीजीपी के खाता सं. 33 में काश्तकार महावीर पुत्र श्योलाल हि. 1/6 जाट सा. बोलांवाली के नाम कुल खाता भूमि 0.253 है., खाता सं. 34 रकबा 2.362 है. में 1/6 हि. व खाता सं. 35/17 रकबा 5.819 है. में 1/6 हि. नहरी मय गै.मु. दर्ज रिकार्ड जमाबंदी है। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड व आधार कार्ड सं. 8001 8205 1114 में महावीर सिंह माकड़ पुत्र श्योलाल माकड़ वार्ड नं. 5, 2 के.एम. गंगानगर नाम अंकित है।

मैने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत फार्म नं. 03 के साथ जमाबंदी, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्ती का है। तहसीलदार (भू.अ.) संगरिया का पत्रांक दुरूस्ति/धारा–136/भू.अ./26/1771 दिनांक 23.04.2026 की रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थी दस्तावेजी साक्ष्य से प्रार्थना पत्र को साबित करने में सफल रहा है।

प्रकरण में मुख्यत अनुतोष राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्ती का है। प्रार्थी के गलत नाम की यह त्रुटि एक लिपिकीय भूल है जो काबिले दुरूस्ती है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर एवं तहसीलदार (भू.अ.) संगरिया का पत्रांक दुरूस्ति/धारा–136/भू.अ./26/1771 दिनांक 23.04.2026 की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट न्यायालय के मत में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट एतद् द्वारा स्वीकार किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को आदेशित दिया जाता है कि चक नं. 16 बी. जी.पी. खाता सं. 35/17 में 1/6 हिस्सा व इसी चक नं. 16 बी.जी.पी. खाता सं. 34/16 में 1/6 हिस्सा व इसी चक नं. 16 बी.जी.पी. के खाता सं. 33/53 में 1/6 हिस्सा जं.सं. 2070–73 व चक नं. 15 बी.जी.पी. खाता सं. 76/53 में 1/6 हिस्सा जं.सं. 2072–75 व चक नं. 4 एन.टी.डब्ल्यू. खाता सं. 52/36 जं.सं. 2072–75 में 1/6 हिस्सा में प्रार्थी का नाम महावीर पुत्र श्योलाल के स्थान पर दुरूस्त किया जाकर महावीर सिंह माकड़ पुत्र श्योलाल अंकित किया जाता है।

राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पत्र जारी हो। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 14-5-2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया